

फॉर्म ॥

भुटवाल - गोरखपुर क्रॉस बोर्डर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व नेपाल ईलेक्ट्रिसिटी ऑथारटी की 50%-50% स्वामित्व वाली
कंपनी)

सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. भुटवाल - गोरखपुर क्रॉस बोर्डर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के तहत पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन किया है:-

क्रमांक	लाइन/उप-स्टेशन का नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई / क्षमता	अनुमानित समापन लागत या स्तरीकृत पारेषण शुल्क (यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है)	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणियाँ
1.	नई बुटवाल-गोरखपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस) ट्रांसमिशन लाइन का भारतीय भाग	400 केवी	461.96 करोड़	30.06.2025	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना
2.	2 नग जीआईएस बे गोरखपुर सब-स्टेशन में	400 केवी			

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

www.powergrid.in/JV पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी



Handwritten signature in blue ink.

के कार्यालय सी ई ओ, भुटवाल - गोरखपुर क्रोस बोर्डर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001 के समक्ष आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दाखिल करें।

भुटवाल - गोरखपुर क्रोस बोर्डर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड

जगह: गुरुग्राम
तारीख:

